

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।

जमानत प्रार्थना-पत्र सं.

/2026

दिनांक 11.08.2026

आदेश

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/अभियुक्तगण नत्थो देवी एवं सुनम देवी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-72/2026, अंतर्गत धारा-85,115(2),351(3),118(1)बी.एन.एस. एवं धारा-3/4 डी.पी. एक्ट, पुलिस थाना-सुनगढ़ी, जिला पीलीभीत में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण को उक्त प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, वे निर्दोष हैं।

अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को जमानत प्रार्थना-पत्र पर सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया है कि अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय है। अतः जमानत का विरोध है।

उक्त प्रकरण में आरोप-पत्र न्यायालय में प्राप्त हो चुका है जिस पर प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। मामला पारिवारिक विवाद से संबंधित है तथा उपरोक्त अभियुक्तगण पीड़िता के परिवारीजन हैं। अभियुक्तगण उपरोक्त पर आरोपित अपराध अधिकतम 07 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था:- "सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन एवं अन्य (2021) 10 एस.सी.सी. 773" को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण उपरोक्त को जमानत का पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

अतः अभियुक्तगण उपरोक्त प्रत्येक को उनके द्वारा मु० 20,000/-रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत किये जाने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

(मंगल देव सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पीलीभीत।
जे.ओ.कोड-यू.पी.1995